न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–2, सांभर लेक, जिला–जयपुर।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जांगिड़, आरजेएस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
(अतिरिक्त कार्यभार)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : (57/2026) 22/2026

एनसीवी नंबर : 47/2026

गोपाल पुत्र बद्री, उम्र 37 वर्ष, निवासी लक्ष्मीपुरा पुलिस थाना जोबनेर जिला जयपुर।

....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान–राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक सांभरलेक

.....अप्रार्थी

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र
अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023,
एफ.आई.आर. नम्बर– 53/2026, पुलिस थाना जोबनेर
अंतर्गत धारा 109(1), 352 बी.एन.एस. व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
विरुद्ध आदेश दिनांक 13.03.2026
न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोबनेर, जिला जयपुर

उपस्थिति :–

1. श्री चंदन सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते सरकार।

आदेश

दिनांक : 17.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त गोपाल की ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन एफ.आई.आर. संख्या– 53/2026 पुलिस थाना जोबनेर में जरिये अधिवक्ता पेश किया। जमानत आवेदन में प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन होना, इसके अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं होना वर्णित किया गया है। जमानत आवेदन की नकल अपर लोक अभियोजक को दी गई। जमानत आवेदन पर बहस सुनी गयी।

2. दौराने **बहस** विद्वान **अधिवक्ता अभियुक्त** ने जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा परिवादीया गंगा देवी के पुत्र के साथ कोई मारपीट नहीं की गई है तथा न ही किसी बन्दुक से फायर कर हत्या का प्रयास किया है। प्रकरण में मजरूब के शरीर पर कोई चोटें कारित नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त परिवादीया का देवर है। दोनों एक ही जाति के है तथा समीपवर्ती स्थान पर रहने वाले है। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान केवल हितबद्ध गवाहान् के बयान लेखबद्ध किये गये हे। किसी भी स्वतंत्र गवाह के बयान लेखबद्ध नहीं लिये गये है। प्रार्थी/अभियुक्त का आशय प्रकरण में परिवादीया के पुत्र ज्ञानदीप की मृत्यु कारित करने का रहा हो अथवा परिवादी पक्ष के साथ प्रार्थी/अभियुक्त की कोई रंजिश रही हो, इस संदर्भ में कोई तथ्य केस डायरी पर नहीं है। प्रकरण में प्रयुक्त कथित बन्दुक सरदारमल के नाम से लाइसेंस है, जो कि

टाइमबार्ड हो चुका है तथा कथित बन्दुक खेत की रखवाली के कार्य में प्रयुक्त की जानी वाली है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 109(1) बी.एन.एस. के प्रावधान आकर्षित नहीं होते है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अधिकतम मामला धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत है जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में मात्र दो प्रकरण लंबित है तथा शेष प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को निराधार संलिप्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त गत कई दिवसों से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। उक्त कथन करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए **विद्वान अपर लोक अभियोजक** ने निवेदन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा परिवादीया के पुत्र को जान से मारने के आशय से उस पर बन्दुक से फायर किया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध इस प्रकरण के अलावा अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज है। प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का होना कथित कर प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया गया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

5. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 07.03.2026 को परिवादीया गंगा देवी ने उपस्थित थाना होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 06.03.2026 को रात्रि 12 बजे वह अपने घर पर अकेली थी तभी अचानक **गोपाल** व उसका पुत्र अजय बन्दुक लेकर आये तथा बन्दुक अपने चचेरे भाई राकेश के घर से लेकर आये है और आते ही उसके पुत्र **ज्ञानदीप का नाम लेकर गाली–गलौच करते हुये कहने लगे कि घर से बाहर निकल आज उसे जान से मारेंगे यह कहते हुये उन्होंने उसके हॉल में लगे हुये बैड पर बन्दुक से गोली चलाई, जिससे बन्दुक से निकले हुये छर्रे दीवारों एवं बैड पर लग गये। वह दुसरे कमरे में होने एवं उसका पुत्र ज्ञानदीप खेत पर होने के कारण उनकी जान बच गयी** अन्यथा वे उन्हें जान से मार देते। इस घटना की सूचना 112 नम्बर पर फोन कर पुलिस को दी है। **गोपाल** व उसका पुत्र अजय ने उन्हें जान से मारने की नियत से हमला किया..... आदि।

6. इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना जोबनेर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–53/2026 अंतर्गत धारा 109(1), 352 बी.एन.एस. व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज की गयी। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त पर अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 352 बी.एन.एस. व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तदुपरान्त उसे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोबनेर के समक्ष पेश किया। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोबनेर के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा

480 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत किया गया, जिसे उक्त न्यायालय ने दिनांक 13.03.2026 को खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से केस डायरी पर प्रस्तुत आपराधिक विवरण के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध निम्न आपराधिक प्रकरण दर्ज है –

क्र. सं.	मु.नं.	चालान	धारा	पुलिस थाना	फैसला
1	139/09.06.24	227/06.08.24	420,406,120बी भा.द.सं., 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधि.	दूदू	पैण्डिंग न्यायालय
2.	13/09.01.20	09/20	3/25 आर्म्स एक्ट	कालवाड़	पैण्डिंग न्यायालय
3.	55/17.03.15	121/23.06.15	376 डी भा.द.सं.	जोबनेर	पैण्डिंग न्यायालय
4.	68/19.04.13	78/17.06.13	420,406 भा.द.सं., 9/51 वन्य जीवन सरंक्षण अधिनियम	जोबनेर	पैण्डिंग न्यायालय
5.	171/18.07.12	122/30.09.12	420, 406 भा.द.सं.	रेनवाल	पैण्डिंग न्यायालय

8. प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 08.03.2026 को गिरफ्तार किया गया है। अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर परिवादीया के पुत्र को जान से मारने के आशय से बंदुक से फायरिंग कर उसकी हत्या का प्रयास करने के आरोप है। प्रकरण में दर्ज एफ.आई.आर. में प्रार्थी/अभियुक्त को नामजद किया गया है। प्रकरण में कथित फायरिंग से टूटे खिड़की के कांच के छोटे–बड़े टुकड़े व फायरिंग के दौरान बन्दुक से निकले छर्रें, बन्दुक की फायरिंग से निकले छर्रो से छेद हो रखे एल्यूमिनियम की फ्रेम जब्त किये जाने बाबत् फर्द जब्ती केस डायरी पर है। प्रार्थी/अभियुक्त से प्राप्त इत्तला अंतर्गत धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्रम में बारूद व छर्रे व एक टोपीदार बन्दुक को जब्त किये जाने के संदर्भ में फर्द जब्तीयां केस डायरी पर है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक विवरण के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध इस प्रकरण के अलावा पांच अन्य आपराधिक प्रकरण सामुहिक बलात्संग व धोखाधड़ी आदि से संबंधित दर्ज होना बताया गया है। प्रकरण में अब तक के अनुसंधान में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 109(1), 352 बी.एन.एस. व 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण अभी अनुसंधानाधीन है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने की दशा में प्रकरण में प्राप्त होने वाले साक्ष्य व सूत्र नष्ट होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने की दशा में इस प्रवृत्ति के व्यक्तियों के हौंसले बुलंद होंगे जिससे समाज में गलत संदेश प्रसारित होगा। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

9. अतः प्रार्थी / अभियुक्त **गोपाल पुत्र बद्री, उम्र 37 वर्ष** की ओर से प्रस्तुत प्रथम् जमानत के यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दीवानी मूल क्षेत्राधिकार रिट पिटिशन सं. 1082 / 2020 बउनवानी सुहास चकमा बनाम भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2024 दिशा–निर्देशों के क्रम में जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश के संबंध में उच्च स्तर पर उपचार प्राप्त करने हेतु उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता / सुविधा की सूचना हेतु विहित प्रारूपानुसार कवर शीट अभियुक्त पक्ष को सूचना हेतु उपलब्ध करवायी जावे।

(अरविन्द कुमार जांगिड़)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–2,
सांभर लेक, जिला–जयपुर
(अतिरिक्त कार्यभार)

11. आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जांगिड़)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–2,
सांभर लेक, जिला–जयपुर
(अतिरिक्त कार्यभार)